भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2961

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

साइबर अवेयर डिजिटल नागरिक अभियान के लाभार्थी

2961. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग साइबर अपराधों की चपेट में आ जाते हैं;

(ख) साइबर अवेयर डिजिटल नागरिक अभियान और सूचना सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) चरण-तीन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार staysafeonline.in की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय पंचायतों के सहयोग से क्षेत्रीय भाषाओं में अभियान चलाने का विचार कर रही है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में प्रयोक्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। सरकार साइबर धोखाधड़ी सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और हानियों से अवगत है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और अन्य संबंधित कानूनों ने मिलकर साइबर धोखाधड़ी का समाधान करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम"):</u>

● धारा 66 ग में पहचान की चोरी के लिए तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे एक लाख रुपये तक बढाया जा सकता है;

● धारा 66 घ में कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके नकल करके धोखाधड़ी करने के लिए तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है;

● धारा 66 में कंप्यूटर से जुड़े अपराधों के लिए तीन साल तक की सज़ा, या पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है;

● धारा 43 कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुँचाने पर दंड और मुआवज़े का प्रावधान करती है।।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:</u>

● आईटी नियमों में मध्यवर्तियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दायित्व डाले गए हैं कि उनके कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता ऐसी कोई भी जानकारी होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा न करें जो धोखा देती हो या गुमराह करती हो,

किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो या जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो।

● मध्यवर्तियों को सक्षम न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के तीन घंटे के भीतर या उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने पर किसी भी गैरकानूनी सामग्री को हटाना आवश्यक है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

● बीएनएस, 2023 संगठित अपराध (धारा 111), प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (धारा 319), जालसाजी (धारा 336/337), आदि और अन्य साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों का समाधान करता है।

व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र की निगरानी करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

● गृह मंत्रालय ने समन्वित और व्यापक तरीके से देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' ("I4C") की स्थापना की है।

● महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए I4C के एक भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' ("एनसीआरपी") लॉन्च किया गया है। पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर उपलब्ध है_। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलना और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

● I4C के तहत 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' (सीएफ़सीएफ़आरएमएस) को वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

● I4C में एक अत्याधुनिक, साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफ़एमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि, वित्तीय मध्यस्थ, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने नागरिकों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए जन जागरूकता और त्वरित शिकायत निवारण के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: -

● इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन पैदा करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' पर एक परियोजना लागू कर रहा है। परियोजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

 - अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसमें क्रमशः 10.02.2026 और 11.02.2025 को मनाए गए सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर देश भर में आयोजित 4,371 जागरूकता कार्यशालाएं शामिल हैं, जिनमें 6.78 लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 9.78 करोड़ नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।
 - राज्य पुलिस/नगरपालिका विभागों के साथ संयुक्त रूप से चुनिंदा राज्यों/शहरों में आयोजित 5 साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताहों; दूरदर्शन/आकाशवाणी

आदि पर प्रसारित 37 जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 20 करोड़ अनुमानित लाभार्थियों को अप्रत्यक्ष मोड के माध्यम से कवर किया गया है ।

o साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों, सलाह, ई-लर्निंग पाठ्यक्रम आदि के रूप में जागरूकता सामग्री को www.staysafeonline.in तथा www.csk.gov.in. जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है ।

o परियोजना के तहत, जमीनी स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 16 राज्यों के 12,079 गांवों में 61 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (एनजीओ) द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में 487 कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिसमें लगभग 40 लाख लाभार्थी शामिल हैं।

● भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल पर सुरक्षा और संरक्षा युक्तियों और जागरूकता पोस्टर, इन्फो-ग्राफिक्स और वीडियो साझा करती है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर सुरक्षा हमलों और धोखाधड़ी के बारे में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है।

● कॉलर ट्यून अभियान: दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सहयोग से आई4सी ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए 19.12.2024 से एक कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा कॉलर ट्यूनों को अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जा रहा था। कॉलर ट्यून के छह संस्करण चलाए गए जो डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी ऋण ऐप, नकली सोशल मीडिया विज्ञापन जैसे विभिन्न तौर-तरीकों को कवर करते हैं।

● केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, समाचार पत्रों में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

● डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने 19 जुलाई, 2025 से 52 सप्ताह तक साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

● साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, एसएमएस के माध्यम से संदेशों का प्रसार, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमाघरों में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, विभिन्न माध्यमों में प्रचार के लिए मायगव को शामिल करना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताहों का आयोजन, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले आदि शामिल हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार केंद्र सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय प्रशासन संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी पहलों का समर्थन करती है।
